

Final NOC

NOC Application has been approved successfully !!!

Print

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णांक (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/71096/GKPI/GORAKHPUR/531/CFO

दिनांक : 09-01-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ST. XAVIER S SCHOOL प्लॉट ARAZI NO-38 MI, 92 MI, 93MI, 102 MI, AND OTHERS, TAL. NADOR, KALABAG ROAD, GORAKHPUR लखीस - SADAR प्लॉट एरिया 6770.64 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 1749.33 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	इलेक्ट्रिक ब्लाक में तारों की संख्या	वेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
ST XAVIER S SCHOOL	2	0	8.90 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स ST. XAVIER S SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओबीएसीए एवं क्लम्बेटी भारतीय वायु सेना के आईएएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 12-01-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SHIVANAND DUBEY के साथ किया गया। भवन में अधिसूचित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिसूचित पायी गयी। आग-प्रकृत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (जापर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीएसीए की अधिभोग सेवा (Educational) के अंतर्गत वैधता तिथि 13-01-2023 से 12-01-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस खर्च के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निरोधक व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियान्वित बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निरोधक व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी क्षति के लिए मेसर्स ST. XAVIER S SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स ST. XAVIER S SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी।

Note : AS PER RECOMMENDATION REPORT OF FSSO GIDA GORAKHPUR, The owner/occupier shall keep duly trained staff. You have to perform monthly fire drill in your building as per NBC and GO with intimation to fire department and kept record of fire drills and equipments maintenance which shall be produced at the time of next renewal. Do not change the occupancy or structure of the building without permission of fire department. The open setback area is not checked at our end as it shall be checked by concerned building department as this is existed building.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिसूचित, न्यूनताओं के अभाव पर निर्गत किया जा रहा है। इनके अभाव पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र बाध नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूजि/ भवन के स्वामि/ अधिभोग को प्रस्तुत नहीं करता है।"



मुख्य अग्निरोधक-अधिकारी

(द्विचिह्न रूप से इस्तेमालित)

ARVIND KUMAR SINGH

C8853436347579918D09626629988582C3226278D3

13-01-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 13-01-2023

स्थान : GORAKHPUR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.